संख्या-28/2026/412/12-5099/73/2022

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक::** **23 अप्रैल, 2026**

विषयः- प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना का वित्तीय वर्ष 2026-2027 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-20/चावल/प्र०कृ०उ०स्वा०यो०/2026-27, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 एवं अपर कृषि निदेशक (चावल), उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ के पत्रांक-25/चावल/प्र०कृ०उ०स्वा०यो०/2026-27, दिनांक 16 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना का वित्तीय वर्ष 2025-2026 में क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना की प्राशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है :-

1.संक्षिप्त रूप रेखा:-

कृषि अथवा कृषि व्यवसाय प्रबन्धन में स्नातक बेरोजगार युवाओं की सेवाओं का उपयोग कृषक हित में करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें "वन स्टाप शॉप" के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इन एग्रीजंक्शन (वन स्टाप शॉप) केन्द्रों के माध्यम से निम्नलिखित सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी:-

1. उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति।
2. नवीन तकनीक एंव परामर्श सेवाओं की उपलब्धता ।
3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानों को मार्ग-दर्शन देना।
4. लघु कृषि-यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
5. नवीन तकनीकी की जानकारी एंव तकनीकी समस्या सम्बन्धी समाधान परामर्श सेवा ।
6. विभिन्न कृषि योजनाओं आदि के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाएं दिए जाने एवं प्रचार हेतु एग्रीजंक्शन केन्द्रों पर LCD/ AV Aids के लगाये जाने की व्यवस्था।
7. प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।

उक्त के अतिरिक्त एग्रीजंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण ,कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री, मौसम/विपणन व अन्य सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध कराने जैसे कार्य भी किये जायेंगे।

2. कार्य क्षेत्रः- प्रदेश के समस्त 75 जनपद।

3. अनुमन्य सुविधायें :-

I. एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु चयनित लाभर्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण।
II. एग्रीजंक्शन स्थापना के लिए बैंको से ऋण प्राप्त करनें में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था है। यह अनुदान बैंक की बैक इन्डेड सब्सिडी के रुप में रखा जायेगा तथा वर्ष के समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिड कर दिया जायेगा।
III. एक वर्ष(12 माह) तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि, जो रुपया 2000/- प्रतिमाह से अधिक न हो।
IV. कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित विवरण के अनुसार की जायेगी:-

(अ) बीज लाइसेंस शुल्क हेतु (रूपये 1000/- प्रति केन्द्र)

(ब-1) उर्वरक प्राधिकार पत्र शुल्क बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रूपये 625/-प्रति केन्द्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ब-2) उर्वरक प्राधिकार पत्र सामान्य क्षेत्र हेतु (रूपये 1250/-प्रति केन्द्र)

(स-1) कीटनाशी लाइसेंस शुल्क शहरी क्षेत्र हेतु (रूपये 7500/-प्रति केन्द्र)

(स-2) कीटनाशी लाइसेंस शुल्क ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रूपये 1500/-प्रति केन्द्र)

कीटनाशी लाइसेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का अनुपात 75:25 रखा गया है, फिर भी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप लाइसेंस मद हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के केन्द्रों के निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन किया जा सकेगा तथा तदनुसार आवंटित धनराशि का उपयोग जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा किया जायेगा।

V. एग्रीजंक्शन उद्यमियों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अन्य योजनाओं से अभिसरण।

4. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :-

"प्रदेश के समस्त विकास खण्डों एवं तहसील मुख्यालयों पर स्थापित **'वन स्टॉप शॉप'** के माध्यम से कृषक अब एक ही स्थान पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश एवं कृषि के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से न केवल कृषकों को लाभ प्राप्त होगा, बल्कि बेरोजगार कृषि स्नातकों हेतु स्वरोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे। योजनान्तर्गत लक्ष्यों का आवंटन समग्र रूप से जनपद स्तर पर किया जा रहा है, किन्तु इनका विकास खण्डवार निर्धारण एवं भविष्य में इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन, "जिला स्तरीय चयन समिति" के परामर्शोपरांत उप कृषि निदेशक द्वारा किया जाएगा। अतः प्रत्येक जनपद को अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले संबंधित विकास खण्डों हेतु आवंटित इन विशिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप ही अपनी विस्तृत कार्ययोजना सुनिश्चित एवं क्रियान्वित करनी होगी।

वर्ष 2026-27 में प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 827 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है**(निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का जनपदवार फांट संलग्नक-1),** जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति एग्रीजंक्शन केन्द्र की स्थापना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी : -

क्र०सं०	**कार्य विवरण**	**धनराशि (रू0 में)**
1	ऋण सीमा की धनराशि रु0 3.5 लाख पर अग्रिम ब्याज अनुदान अधिकतम् प्रति केन्द्र रु0 42000/-(बैक इन्डेड सब्सिडी के रुप में वर्तमान ब्याज दर में) परियोजना पर बैंक ऋण स्वीकृति रु0 3.5 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैक इन्डेड सब्सिडी) तदनुसार अनुपातिक रुप से कम होगा .	42,000
2	परिसर किराया 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम् रु0 24000/- किराया (अधिकतम् रु0 2000/- प्रतिमाह दर से केवल प्रथम वर्ष के लिए)	24,000
3	निवेशों के क्रय- विक्रय हेतु निर्गत किए जाने वाले लाइसेन्स शुल्क की प्रतिपूर्ति कृषि निवेशवार लाइसेन्स शुल्क प्रतिपूर्ति का विवरणः- 1. बीज लाइसेन्स शुल्क हेतु (रूपयें 1000/-प्रति केन्द्र) 2. i) उर्वरक प्राधिकार पत्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रस्तावित शुल्क (रूपयें 625/- प्रति केन्द्र) ii) उर्वरक प्राधिकार पत्र सामान्य क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रूपये 1250/-प्रति केन्द्र) 3. i) कीटनाशी रसायन लाइसेन्स शहरी क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रू0 7500/-प्रति केन्द्र) ii) कीटनाशी रसायन लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित केन्द्रों हेतु शुल्क (रूपये 1500/-प्रति केन्द्र)	5,250
4	13 दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन, विज्ञापन, स्टेशनरी, कार्यालय के अन्य विविध व्यय हेतु रू0 6650 प्रति केन्द्र (प्रशिक्षण व्यय @ रू0 400/ लाभार्थी /प्रति दिन, 13 दिन हेतु कुल रू0 5200 + अन्य व्यय रू0 1450 विभाग हेतु)	6,650
	योग	**77,900**

वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश में 827 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना के भौतिक लक्ष्य हेतु कुल धनराशि रु० 644.33 लाख व्यय किया जाना है। इस प्रकार वर्ष 2026-27 हेतु कुल कार्ययोजना का आकार निम्नवत होगा :-

क्र0 सं0	**वर्ष**	**भौतिक लक्ष्य (संख्या में)**	**वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)**
1	2026-27	827	644.33
	कुल योग	827	644.33

प्रदेश हेतु कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य की सीमान्तर्गत अंतर्जनपदीय लक्ष्य परिवर्तन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. योजना का क्रियान्वयन:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-11/2023/127/12-5-2023-ब0-06/2017 दिनांक 31 जनवरी,2023) के अनुसार किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु प्रमुख बिन्दु निम्नवत है :-

(i) प्रचार-प्रसार :- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार संबंधित जनपदों के उप कृषि निदेशक द्वारा निःशुल्क सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अंतर्गत स्थानीय समाचार पत्रों में 'प्रेस विज्ञप्ति' के माध्यम से योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही विभागीय बैठकों, किसान पाठशालाओं एवं विकास खंड स्तरीय गोष्ठियों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को जागरूक किया जायेगा।

(ii) समय सारणी :- जनपदों के कार्ययोजना निर्गमन के पश्चात् विभिन्न कार्य मदों / क्रियाकलापों को निम्नवत् समय सारणी के अनुसार सम्पादित / क्रियान्वित करते हुए 5 माह के अन्दर एग्रीजंक्शन की स्थापना करायी जानी होगी :-

क्र.सं.	क्रियाकलाप	समय सारणी	अवधि
1	योजना का प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन	जनपदों को प्रेषित कार्ययोजना के उपरान्त	30 जून 2026 तक
2	लाभार्थी चयन	अधिकतम 15 दिवस	15 जुलाई 2026 तक
3	लाभार्थी प्रशिक्षण (13 दिवसीय)	अधिकतम एक माह	15 अगस्त 2026 तक
4	कृषि निवेश लाइसेंस निर्गमन	अधिकतम 15 दिवस	31 अगस्त 2026 तक
5	डी0पी0आर0 तैयारी बैंक को प्रेषण एवं स्वीकृति	अधिकतम 30 दिवस	30 सितम्बर 2026 तक
6	ऋण वितरण	अधिकतम 15 दिवस	15 अक्टूबर 2026 तक
7	एग्रीजंक्शन स्थापना एवं संचालन	अधिकतम 15 दिवस	31 अक्टूबर 2026 तक

उक्त समय सारणी के अनुसार विभिन्न क्रिया-कलापों को निर्धारित अवधि तक सम्पादित / पूर्ण कराने का दायित्व जनपदीय उप कृषि निदेशक का होगा।

(iii) एग्रीजंक्शन हेतु पात्रता :- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले बेरोजगार कृषि स्नातक या कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक , जो कृषि एवं संबद्ध विषयों यथा- उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियां जो आई0सी0ए0आर0 अथवा यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त किसी राज्य / केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी हैं ,पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/कृषि विषय में इन्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर भी विचार किया जायेगा।

(iv) चयन प्रक्रिया :- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले बेरोजगार कृषि स्नातक या कृषि व्यवसाय प्रबन्धन में स्नातक युवाओं का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा आवेदकों के ऑनलाइन आवेदित पत्रों की छंटनी (Screening) के उपरान्त किया जायेगा। इस समिति में जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक (कृषि विभाग), अग्रणी बैंक प्रबन्धक एवं सचिव जिला सहकारी बैंक लि0 सदस्य होंगे।

जिला स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जायेगा :-

1.	जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	-	**अध्यक्ष**
2.	उप कृषि निदेशक	-	सदस्य/सचिव
3.	अग्रणी बैंक प्रबन्धक	-	सदस्य
4.	सचिव जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	-	सदस्य
5.	कृषि विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष/वरिष्ठ वैज्ञानिक	-	सदस्य

चयन की प्रक्रिया जनपद में गठित समिति द्वारा पारदर्शी ढंग से की जाय तथा निर्धारित समय-सीमा में आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए चयन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही पारदर्शी प्रतीक्षारत सूची भी तैयार की जाय। जनपद में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों का चयन किया जाय, जिससे कि अपरिहार्य परिस्थितियों में भी जनपदीय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति शत-प्रतिशत की जा सके। चयन के उपरान्त लाभार्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें**(संलग्नक-2)**, जिसमें यह घोषणा होगी कि न्यनतम तीन वर्ष तक उनके द्वारा ''वन स्टाप शॉप'' का संचालन किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कृषि विभाग की समस्त योजनाओं से उन्हें प्रतिबन्धित (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जायेगा तथा उन पर किये गये व्यय की विभाग द्वारा वसूली होगी। चयनित लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को अवसर दिया जायेगा।

(v) कार्ययोजना अंतर्गत जनपद स्तरीय समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में रखे गये समस्त अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित करते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जाएगी।

(vi) आयु :- 40 वर्ष से अनधिक हो, अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को अधिकतम 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। पात्र अभ्यार्थियो में, जिनकी जन्मतिथि पहले हो, उन्हे वरीयता दी जायेगी। आयु की गणना कार्ययोजना जारी होने की तिथि से की जायेगी।

(vii) प्रति एग्रीजंक्शन कुल प्रोजेक्ट लागत :- रु० 4.22 लाख

(viii) ऋण सीमा (Bank Loan) :- रु० 3.50 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(ix) मार्जिन मनी :- रु० 0.72 लाख (प्रोजेक्ट लागत का 17.00 प्रतिशत) ऋणी आवेदक द्वारा स्वयं वहन/अभिदान किया जाएगा।

प्रशिक्षित कृषि उद्यमी कृषि निवेशों की आपूर्ति एवं अन्य क्रिया-कलापों के लिए अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्य होंगे। योजना का उद्देश्य क्रेडिट निवेश दर को बढावा देकर उत्तर प्रदेश में कृषि पूंजी सृजित करना ताकि **"वन स्टाप शॉप"** की स्थापना से कृषकों को लाभान्वित किया जा सके।

(x) ऋण वितरण :- प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने के उपरान्त।

(xi) लाक इन पीरियड :- 36 माह (7.5 % अग्रिम ब्याज अनुदान की धनराशि 03 वर्षो के प्रस्ताविक कार्य हेतु बैक इन्डेड सब्सिडी के रुप में अधिकतम् रु० 42000/- की सीमा तक दी जायेगी, परन्तु लाभार्थी द्वारा ऋण खाता 03 वर्ष से पूर्व बन्द नहीं किया जायेगा)। ऋण स्वीकृति रु० 3.5 लाख से कम होने की दशा में अग्रिम ब्याज अनुदान (बैंक इन्डेड सब्सिडी) तद्नुसार अनुपातिक रुप से कम होगा।

(xii) परियोजना अवधि :- परियोजना पूर्ण होने की अवधि तक बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किस्त अवमुक्त/ वितरण होने के पश्चात् 6 माह होगी, जिसे ऋण स्वीकर्ता बैंक द्वारा समुचित कारण इंगित किये जाने की दशा में अधिकतम् 3 माह तक और बढ़ाया जा सकेगा ।

(xiii) डाक्यूमेन्टेशनः- बैंक मे लागू डायरेक्ट एग्री सिग्मेन्ट अग्रिम के अनुसार ।

(xiv) पुनर्भुगतानः- 03 माह के मोरैटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए 36 से 60 माह में किया जायेगा। पुनर्भुगतान शेड्यूल ऋण की सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि सब्सिडी की धनराशि का समायोजन शुद्ध ऋण की भरपाई के बाद हो।

(xv) यदि परियोजना निर्धारित समय में पूर्ण नही की जाती है तो अनुदान(subsidy) की धनराशि अनुमन्य नही होगी और यदि कोई अनुदान की धनराशि बैक को दे दी गयी है तो वह सम्बन्धित उपनिदेशक को बैंक द्वारा वापस किए जाने की बाध्यता होगी तथा वापस होने वाली अनुदान की धनराशि उप कृषि निदेशक द्वारा राजकोष में जमा की जायेगी।

(xvi) संबंधित बैंक परियोजना अन्तर्गत सृजित परिसंपतियों का बीमा भी सुनिश्चित करेंगें।

(xvii) ऋण प्रदान करने वाले बैंक द्वारा निर्धारित समय पर या समय-समय पर औचक निरीक्षण कर बैंक इण्डेड सब्सिडी हेतु उद्यमी की पात्रता की पुष्टि करनी होगी एवं विभाग को इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। बैंक द्वारा तीन साल के लॉक इन अवधि के अन्त में एक Consolidated रिपोर्ट तैयार कर विभाग को भेजी जायेगी।

(xviii) बैंक एन्डेड सब्सिडी के रुप में प्राप्त होने वाली धनराशि को बैंक द्वारा "Subsidy Reserve Fund Account" में रखा जाएगा तथा इस पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जायेगा । उद्यमी लोन खाता अलग से संचालित किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण एण्ड हैण्ड होल्डिंग :- चयनित आवेदकों को योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से प्रशिक्षण, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान अथवा आर-सेटीज अथवा विभागीय राजकीय कृषि विद्यालय द्वारा कम से कम 13 दिन का ग्रामीण व्यवसाय विकास योजना (आर0ई0डी0पी0) का प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। चयनित लाभार्थियों को दिये जाने वाले 13 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु विषय वस्तु**(संलग्नक-3)** पर उपलब्ध है।

7. योजना का वित्त पोषणः- योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।

8. प्रशिक्षित उद्यमियों के कर्तव्य एवं दायित्व :- एग्रीजंक्शन उद्यमी अपने क्षेत्र के किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश आपूर्ति के साथ-साथ नवीनतम् कृषि तकनीकी और विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे। विभाग द्वारा संचालित मेला, गोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रमो में प्रतिभाग करेंगे और कृषि विभाग के प्रसार कार्यकर्ताओं को उनके कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। समय-समय पर कृषि विभाग के सहयोग से अपने ज्ञान को समुन्नत करते हुए स्वयं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाये रखेंगे।

9. योजना का अभिसरण :- एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषि के विविध आयामों से युक्त, सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस योजना का अभिसरण अन्य योजनाओं के अनुमन्य प्राविधानों और प्रचलित दिशा-निर्देशों में अनुमन्यता के अधीन किये जाने हेतु प्रयास किया जायेगा, ताकि इस योजना के लाभार्थियों के लिए यह उद्यम आर्थिक रूप से सफल सिद्ध हो सके। उदाहरण स्वरूप कृषि विभाग की कतिपय योजनाओं से इनका अभिसरण किया जा सकता है। जैसे -

क- एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के अर्न्तगत् कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु चयन में प्राथमिकता दी जाये।

ख- एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना उपरान्त यदि लाभार्थी द्वारा एग्रीजंक्शन केन्द्र को समिति के रूप में पंजीकृत करा लिया जाता है अथवा उनके द्वारा समूह गठित कर कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलाप संचालित किये जाते हैं तो उन्हें फार्म मशीनरी बैंक अर्न्तगत लाभान्वित किया जाये।

ग- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन0एफ0एस0एन0एम0) योजनार्न्तगत फार्म स्टोरेज रूम/स्ट्रक्चर (50मै0टन क्षमता) हेतु अनुदान सुविधा (लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू० 3.34 लाख, जो भी कम हो) देकर स्थानीय स्तर पर भण्डारण क्षमता का विकास।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

घ- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन(एन0एफ0एस0एन0एम0) योजनान्तर्गत् छोटी प्रसंस्करण इकाईयों (मिनी राइस मिल, दाल मिल, आदि) पर देय अनुदान सुविधा उपलब्ध कराते हुए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण सुविधा के माध्यम से मूल्य संवर्द्धन कर कृषकों की आय में वृद्धि।

ड़- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एन0एम0ई0ओ0) योजनान्तर्गत् 'ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट' (प्रसंस्करण इकाई) की स्थापना पर अनुदान सुविधा प्रदान करते हुए स्थानीय स्तर पर तिलहन के मूल्य संवर्द्धन (Value Addition) एवं कृषकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना।"

च- मॉडल के रूप में विकसित एग्रीजंक्शन केन्द्रों को कृषकों के भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाया जाये तथा ऐसे एग्रीजंक्शन के लाभार्थियों को रिर्सोस परसन/अग्रणी कृषक/प्रचार-प्रसार कार्यकर्ता के रूप में उपयोग किया जाये।

10. प्रगति प्रेषण :- प्रत्येक जनपद का मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण सम्बन्धित उप कृषि निदेशक द्वारा माह की 5वीं तारीख तक निर्धारित रूप-पत्र**(संलग्नक-4)** पर वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति चावल अनुभाग को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा।

11. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण :- योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक का होगा तथा मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक इसके पर्यवेक्षण हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी क्षेत्रीय स्थल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। योजना के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर अपर कृषि निदेशक (चावल) योजना के नियंत्रण अधिकारी होंगे।

12. योजनान्तर्गत विज्ञापन कृषि निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ स्तर से निकाला जाएगा, जिससे एकरूपता रहे तथा प्रत्येक जनपद में उक्त समयसीमा के अनुसार कार्य किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
8- अपर कृषि निदेशक(चावल), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
9- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक जनपदीय/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, लखनऊ को पोर्टल पर व्यवस्था करने हेतु।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक - 1

"प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना" हेतु जनपदवार प्रस्तावित भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (वर्ष 2026-27)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या	जनपदवार प्रस्तावित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2026-27 के भौतिक लक्ष्य	ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र (अधिकतम ब्याज अनुदान की धनराशि रू0 42000/- तीन वर्षों के प्रस्तावित कार्य हेतु)	प्रतिस्थापना केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रू0 24000/- केवल प्रथम वर्ष हेतु)	बीज (रू0 1000/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक: सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक: बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रू0 625/- प्रति केन्द्र)	कीटनाशी: शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	कीटनाशी: ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	शहरी क्षेत्र हेतु (रू0 7500/- प्रति केन्द्र)	ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रू0 1500/- प्रति केन्द्र)	योग	अनुदान (मानक मद 27 सब्सिडी) हेतु कुल धनराशि	विविध व्यय (मानक मद 42-अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि	महायोग
1	उ0कृ0नि0, आगरा	15	15	6.30	3.60	0.15	0.1875	0	4	11	0.3	0.165	0.8025	10.70	0.9975	11.70
2	उ0कृ0नि0, फिरोजाबाद	9	9	3.78	2.16	0.09	0.1125	0	2	7	0.15	0.105	0.4575	6.40	0.5985	6.996
3	उ0कृ0नि0, मैनपुरी	9	9	3.78	2.16	0.09	0.1125	0	2	7	0.15	0.105	0.4575	6.40	0.5985	6.996
4	उ0कृ0नि0, मथुरा	10	10	4.20	2.40	0.1	0.125	0	3	7	0.225	0.105	0.555	7.16	0.665	7.82
	आगरा मण्डल का योग	**43**	**43**	**18.06**	**10.32**	**0.43**	**0.538**	**0**	**11**	**32**	**0.825**	**0.48**	**2.273**	**30.65**	**2.86**	**33.613**
5	उ0कृ0नि0, अलीगढ़	12	12	5.04	2.88	0.12	0.15	0	3	9	0.225	0.135	0.63	8.55	0.798	9.348
6	उ0कृ0नि0, एटा	8	6	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
7	उ0कृ0नि0, हाथरस	7	7	2.94	1.68	0.07	0.0875	0	2	5	0.15	0.075	0.3825	5.00	0.4655	5.468
8	उ0कृ0नि0, कासगंज	7	7	2.94	1.68	0.07	0.0875	0	2	5	0.15	0.075	0.3825	5.00	0.4655	5.468
	अलीगढ़ मण्डल का योग	**34**	**34**	**14.28**	**8.16**	**0.34**	**0.425**	**0**	**9**	**25**	**0.675**	**0.375**	**1.815**	**24.26**	**2.261**	**26.516**
9	उ0कृ0नि0, प्रयागराज	23	23	9.66	5.52	0.23	0.2875	0	6	17	0.45	0.255	1.2225	16.40	1.5295	17.932
10	उ0कृ0नि0, फतेहपुर	13	13	5.46	3.12	0.13	0.1625	0	3	10	0.225	0.15	0.6675	9.25	0.8645	10.112
11	उ0कृ0नि0, प्रतापगढ़	17	17	7.14	4.08	0.17	0.2125	0	4	13	0.3	0.195	0.8775	12.10	1.1305	13.228
12	उ0कृ0नि0, कौशाम्बी	8	8	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
	प्रयागराज मण्डल का योग	**61**	**61**	**25.62**	**14.64**	**0.61**	**0.763**	**0**	**15**	**46**	**1.125**	**0.69**	**3.188**	**43.45**	**4.057**	**47.504**
13	उ0कृ0नि0, आजमगढ़	22	22	9.24	5.28	0.22	0.275	0	6	16	0.45	0.24	1.165	15.71	1.463	17.168
14	उ0कृ0नि0, मऊ	9	9	3.78	2.16	0.09	0.1125	0	2	7	0.15	0.105	0.4575	6.40	0.5985	6.996
15	उ0कृ0नि0, बलिया	17	17	7.14	4.08	0.17	0.2125	0	4	13	0.3	0.195	0.8775	12.10	1.1305	13.228
	आजमगढ़ मण्डल का योग	**48**	**48**	**20.16**	**11.52**	**0.48**	**0.6**	**0**	**12**	**36**	**0.9**	**0.54**	**2.52**	**34.2**	**3.192**	**37.392**
16	उ0कृ0नि0, बदायूँ	15	15	6.30	3.60	0.15	0.1875	0	4	11	0.3	0.165	0.8025	10.70	0.9975	11.7
17	उ0कृ0नि0, बरेली	15	15	6.30	3.60	0.15	0.1875	0	4	11	0.3	0.165	0.8025	10.70	0.9975	11.7
18	उ0कृ0नि0, पीलीभीत	7	7	2.94	1.68	0.07	0.0875	0	2	5	0.15	0.075	0.3825	5.00	0.4655	5.468
19	उ0कृ0नि0, शाहजहाँपुर	15	15	6.30	3.60	0.15	0.1875	0	4	11	0.3	0.165	0.8025	10.70	0.9975	11.7
	बरेली मण्डल का योग	**52**	**52**	**21.84**	**12.48**	**0.52**	**0.65**	**0**	**14**	**38**	**1.05**	**0.57**	**2.79**	**37.11**	**3.458**	**40.568**
20	उ0कृ0नि0, बस्ती	14	14	5.88	3.36	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.01	0.931	10.936
21	उ0कृ0नि0, संतकबीर नगर	9	9	3.78	2.16	0.09	0.1125	0	2	7	0.15	0.105	0.4575	6.40	0.5985	6.996
22	उ0कृ0नि0, सिद्धार्थ नगर	14	14	5.88	3.36	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.01	0.931	10.936
	बस्ती मण्डल का योग	**37**	**37**	**15.54**	**8.88**	**0.37**	**0.463**	**0**	**10**	**27**	**0.75**	**0.405**	**1.988**	**26.41**	**2.461**	**28.868**
23	उ0कृ0नि0, बाँदा	8	8	3.36	1.92	0.08	0	0.05	2	6	0.15	0.09	0.37	5.65	0.532	6.182
24	उ0कृ0नि0, चित्रकूटधाम	5	5	2.10	1.20	0.05	0	0.0313	1	4	0.075	0.06	0.2163	3.52	0.3325	3.8488
25	उ0कृ0नि0, हमीरपुर	7	7	2.94	1.68	0.07	0	0.0438	2	5	0.15	0.075	0.3388	4.96	0.4655	5.4243
26	उ0कृ0नि0, महोबा	4	4	1.68	0.96	0.04	0	0.025	1	3	0.075	0.045	0.185	2.83	0.266	3.091
	बाँदा मण्डल का योग	**24**	**24**	**10.08**	**5.76**	**0.24**	**0**	**0.15**	**6**	**18**	**0.45**	**0.27**	**1.11**	**16.95**	**1.596**	**18.546**
27	उ0कृ0नि0, बहराइच	14	14	5.88	3.36	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.01	0.931	10.936
28	उ0कृ0नि0, बलरामपुर	9	9	3.78	2.16	0.09	0.1125	0	2	7	0.15	0.105	0.4575	6.40	0.5985	6.996
29	उ0कृ0नि0, गोण्डा	16	16	6.72	3.84	0.16	0.2	0	4	12	0.3	0.18	0.84	11.40	1.064	12.464

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या	जनपदवार प्रस्तावित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2026-27 के भौतिक लक्ष्य	ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र (अधिकतम ब्याज अनुदान की धनराशि रू0 42000/- तीन वर्षों के प्रस्तावित कार्य हेतु)	प्रतिस्थापना केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र (रू0 24000/- केवल प्रथम वर्ष हेतु)	बीज (रू0 1000/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक: सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक: बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रू0 625/- प्रति केन्द्र)	कीटनाशी: शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	कीटनाशी: ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	शहरी क्षेत्र हेतु (रू0 7500/- प्रति केन्द्र)	ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रू0 1500/- प्रति केन्द्र)	योग	अनुदान (मानक मद 27 सब्सिडी) हेतु कुल धनराशि	विविध व्यय (मानक मद 42-अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि	महायोग
30	उ0कृ0नि0, श्रावस्ती	5	5	2.10	1.20	0.05	0.0625	0	1	4	0.075	0.06	0.2475	3.55	0.3325	3.88
	देवीपाटन मण्डल का योग	**44**	**44**	**18.48**	**10.56**	**0.44**	**0.55**	**0**	**11**	**33**	**0.825**	**0.495**	**2.31**	**31.35**	**2.926**	**34.276**
31	उ0कृ0नि0, अम्बेडकर नगर	9	9	3.78	2.16	0.09	0.1125	0	2	7	0.15	0.105	0.4575	6.40	0.5985	6.995
32	उ0कृ0नि0, बाराबंकी	15	15	6.30	3.60	0.15	0.1875	0	4	11	0.3	0.165	0.8025	10.70	0.9975	11.7
33	उ0कृ0नि0, अयोध्या	11	11	4.62	2.64	0.11	0.1375	0	3	8	0.225	0.12	0.5925	7.85	0.7315	8.584
34	उ0कृ0नि0, अमेठी	13	13	5.46	3.12	0.13	0.1625	0	3	10	0.225	0.15	0.6675	9.25	0.8645	10.112
35	उ0कृ0नि0, सुल्तानपुर	14	14	5.88	3.36	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.765	10.01	0.931	10.936
	अयोध्या मण्डल का योग	**62**	**62**	**26.04**	**14.88**	**0.62**	**0.775**	**0**	**16**	**46**	**1.2**	**0.69**	**3.285**	**44.21**	**4.123**	**48.328**
36	उ0कृ0नि0, देवरिया	16	16	6.72	3.84	0.16	0.2	0	4	12	0.3	0.18	0.84	11.40	1.064	12.464
37	उ0कृ0नि0, गोरखपुर	20	20	8.40	4.80	0.2	0.25	0	5	15	0.375	0.225	1.05	14.25	1.33	15.58
38	उ0कृ0नि0, कुशीनगर	14	14	5.88	3.36	0.14	0.175	0	4	10	0.3	0.15	0.755	10.01	0.931	10.936
39	उ0कृ0नि0, महराजगंज	12	12	5.04	2.88	0.12	0.15	0	3	9	0.225	0.135	0.63	8.55	0.798	9.348
	गोरखपुर मण्डल का योग	**62**	**62**	**26.04**	**14.88**	**0.62**	**0.775**	**0**	**16**	**46**	**1.2**	**0.69**	**3.285**	**44.21**	**4.123**	**48.328**
40	उ0कृ0नि0, जालौन	9	9	3.78	2.16	0.09	0	0.0563	2	7	0.15	0.105	0.4013	6.34	0.5985	6.9388
41	उ0कृ0नि0, झाँसी	8	8	3.36	1.92	0.08	0	0.05	2	6	0.15	0.09	0.37	5.65	0.532	6.182
42	उ0कृ0नि0, ललितपुर	6	6	2.52	1.44	0.06	0	0.0375	2	4	0.15	0.06	0.3075	4.27	0.399	4.6665
	झाँसी मण्डल का योग	**23**	**23**	**9.66**	**5.52**	**0.23**	**0**	**0.144**	**6**	**17**	**0.45**	**0.255**	**1.079**	**16.26**	**1.53**	**17.788**
43	उ0कृ0नि0, औरैया	7	7	2.94	1.68	0.07	0.0875	0	2	5	0.15	0.075	0.3825	5.00	0.4655	5.468
44	उ0कृ0नि0, इटावा	8	8	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
45	उ0कृ0नि0, फर्रुखाबाद	7	6	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
46	उ0कृ0नि0, कन्नौज	8	8	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
47	उ0कृ0नि0, कानपुर देहात	10	10	4.20	2.40	0.1	0.125	0	3	7	0.225	0.105	0.555	7.16	0.665	7.82
48	उ0कृ0नि0, कानपुर नगर	10	10	4.20	2.40	0.1	0.125	0	3	7	0.225	0.105	0.555	7.16	0.665	7.82
	कानपुर मण्डल का योग	**50**	**51**	**21.42**	**12.24**	**0.51**	**0.638**	**0**	**14**	**37**	**1.05**	**0.555**	**2.753**	**36.41**	**3.392**	**39.804**
49	उ0कृ0नि0, हरदोई	19	19	7.98	4.56	0.19	0.2375	0	5	14	0.375	0.21	1.0125	13.55	1.2635	14.816
50	उ0कृ0नि0, लखीमपुर खीरी	15	15	6.30	3.60	0.15	0.1875	0	4	11	0.3	0.165	0.8025	10.70	0.9975	11.7
51	उ0कृ0नि0, लखनऊ	8	8	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
52	उ0कृ0नि0, रायबरेली	18	18	7.56	4.32	0.18	0.225	0	5	13	0.375	0.195	0.975	12.88	1.197	14.052
53	उ0कृ0नि0, सीतापुर	19	19	7.98	4.56	0.19	0.2375	0	5	14	0.375	0.21	1.0125	13.55	1.2635	14.816
54	उ0कृ0नि0, उन्नाव	16	16	6.72	3.84	0.16	0.2	0	4	12	0.3	0.18	0.84	11.40	1.064	12.464
	लखनऊ मण्डल का योग	**95**	**95**	**39.9**	**22.8**	**0.95**	**1.188**	**0**	**25**	**70**	**1.875**	**1.05**	**5.063**	**67.76**	**6.318**	**74.08**
55	उ0कृ0नि0, बागपत	6	6	2.52	1.44	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.31	0.399	4.704
56	उ0कृ0नि0, बुलन्दशहर	16	16	6.72	3.84	0.16	0.2	0	4	12	0.3	0.18	0.84	11.40	1.064	12.464
57	उ0कृ0नि0, गौतमबुद्ध नगर	3	3	1.26	0.72	0.03	0.0375	0	1	2	0.075	0.03	0.1725	2.15	0.1995	2.352
58	उ0कृ0नि0, गाजियाबाद	4	4	1.68	0.96	0.04	0.05	0	1	3	0.075	0.045	0.21	2.85	0.266	3.116
59	उ0कृ0नि0, हापुड़	4	4	1.68	0.96	0.04	0.05	0	1	3	0.075	0.045	0.21	2.85	0.266	3.116
60	उ0कृ0नि0, मेरठ	12	12	5.04	2.88	0.12	0.15	0	3	9	0.225	0.135	0.58	8.45	0.798	9.248
	मेरठ मण्डल का योग	**45**	**45**	**18.9**	**10.8**	**0.45**	**0.563**	**0**	**12**	**33**	**0.9**	**0.495**	**2.358**	**32.01**	**2.993**	**35**
61	उ0कृ0नि0, मिर्जापुर	12	12	5.04	2.88	0.12	0.15	0	3	9	0.225	0.135	0.63	8.55	0.798	9.348

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद का नाम	जनपदवार कुल विकास खण्डों की संख्या	जनपदवार स्थापित विकास खण्डों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2026-27 के भौतिक लक्ष्य	जनपदवार उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु भौतिक (इकाई)/वित्तीय लक्ष्य (धनराशि लाख रू0 में): ब्याज पर अनुदान प्रति केन्द्र हेतु धनराशि	प्रशिक्षण केन्द्र के किराये पर अनुदान प्रति उद्यमी केन्द्र हेतु	बीज (रू0 1000/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक: सामान्य क्षेत्र हेतु (रू0 1250/- प्रति केन्द्र)	उर्वरक: बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु (रू0 625/- प्रति केन्द्र)	कीटनाशी: शहरी क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	कीटनाशी: ग्रामीण क्षेत्र के केन्द्रों की सं0	कीटनाशी: शहरी क्षेत्र हेतु (रू0 7500/- प्रति केन्द्र)	कीटनाशी: ग्रामीण क्षेत्र हेतु (रू0 1500/- प्रति केन्द्र)	योग	अनुदान (मानक मद 37 सब्सिडी) हेतु कुल धनराशि	विविध व्यय (मानक मद 42-अन्य व्यय) हेतु कुल धनराशि	महायोग
62	उ0कृ0नि0, संतरविदास नगर	6	6	2.52	1.44	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.31	0.399	4.704
63	उ0कृ0नि0, सोनभद्र	10	10	4.20	2.40	0.1	0.125	0	3	7	0.225	0.105	0.555	7.16	0.665	7.82
	मिर्जापुर मण्डल का योग	**28**	**28**	**11.76**	**6.72**	**0.28**	**0.35**	**0**	**8**	**20**	**0.6**	**0.3**	**1.53**	**20.01**	**1.862**	**21.872**
64	उ0कृ0नि0, बिजनौर	11	11	4.62	2.64	0.11	0.1375	0	3	8	0.225	0.12	0.5925	7.85	0.7315	8.584
65	उ0कृ0नि0, ज्योतिबाफुले नगर	6	6	2.52	1.44	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.31	0.399	4.704
66	उ0कृ0नि0, मुरादाबाद	8	8	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
67	उ0कृ0नि0, सम्भल	8	8	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
68	उ0कृ0नि0, रामपुर	6	6	2.52	1.44	0.06	0.075	0	2	4	0.15	0.06	0.345	4.31	0.399	4.704
	मुरादाबाद मण्डल का योग	**39**	**39**	**16.38**	**9.36**	**0.39**	**0.488**	**0**	**11**	**28**	**0.825**	**0.42**	**2.123**	**27.86**	**2.594**	**30.455**
69	उ0कृ0नि0, मुजफ्फर नगर	9	9	3.78	2.16	0.09	0.1125	0	2	7	0.15	0.105	0.4575	6.40	0.5985	6.996
70	उ0कृ0नि0, सहारनपुर	11	11	4.62	2.64	0.11	0.1375	0	3	8	0.225	0.12	0.5925	7.85	0.7315	8.584
71	उ0कृ0नि0, शामली	5	5	2.10	1.20	0.05	0.0625	0	1	4	0.075	0.06	0.2475	3.55	0.3325	3.88
	सहारनपुर मण्डल का योग	**25**	**25**	**10.5**	**6**	**0.25**	**0.313**	**0**	**6**	**19**	**0.45**	**0.285**	**1.298**	**17.8**	**1.663**	**19.46**
72	उ0कृ0नि0, चन्दौली	9	9	3.78	2.16	0.09	0.1125	0	2	7	0.15	0.105	0.4575	6.40	0.5985	6.996
73	उ0कृ0नि0, गाजीपुर	16	16	6.72	3.84	0.16	0.2	0	4	12	0.3	0.18	0.84	11.40	1.064	12.464
74	उ0कृ0नि0, जौनपुर	21	21	8.82	5.04	0.21	0.2625	0	5	16	0.375	0.24	1.0875	14.96	1.3965	16.344
75	उ0कृ0नि0, वाराणसी	8	8	3.36	1.92	0.08	0.1	0	2	6	0.15	0.09	0.42	5.70	0.532	6.232
	वाराणसी मण्डल का योग	**54**	**54**	**22.68**	**12.96**	**0.54**	**0.675**	**0**	**13**	**41**	**0.975**	**0.615**	**2.805**	**38.45**	**3.591**	**42.038**
	योग	**826**	**827**	**347.34**	**198.48**	**8.27**	**9.7535**	**0.294**	**215**	**612**	**16.125**	**9.18**	**43.573**	**589.34**	**55**	**644.335**

अपर कृषि निदेशक (प्रसार),
उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक (2)

शपथ पत्र

समक्ष उप कृषि निदेशक.. उ0प्र0।

मैं.............................. पुत्र/पुत्री श्री..................................उम्र .... निवासी ग्राम/मो0 ....पोस्ट........................थाना....................................वि0ख0.............................. ......जिला........................ का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजनान्तर्गत चयन के उपरान्त योजना कें समस्त नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा।
2. योजनान्तर्गत निर्धारित निःशुल्क प्रशिक्षण पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ प्राप्त किया जायेगा।
3. प्रशिक्षणोपरान्त एग्री जंक्शन केन्द्र स्थापना हेतु बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक मार्जिन मनी निवेश करने तथा बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण करने हेतु सहमत हूँ।
4. योजनान्तर्गत चयनोपरान्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात यदि मेरे द्वारा एग्री जंक्शन केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो योजनान्तर्गत मेरे ऊपर प्रशिक्षण में किया गया व्यय, निबन्धन पत्र निर्गमन हेतु दिये गये अनुदान की धनराशि मेरे द्वारा विभाग को वापस करने की मुझ पर बाध्यता होगी।
5. योजना के प्राविधानों के अनुसार मेरे द्वारा कृषि निवेश (बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन) व्यवसाय हेतु अनुज्ञा/प्राधिकार पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त औपचारिकताए पूर्ण करते हुए नियमानुसार आवेदन हेतु मैं बाध्य हूँ।
6. योजना के प्राविधानों के अनुसार बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में मिलने वाले ब्याज अनुदान के लॉक-इन पीरीयड (तीन वर्ष) तक लगातार एग्री जंक्शन केन्द्र का संचालन करूँगा, अन्यथा की स्थिति में देय ब्याज अनुदान विभाग को वापस करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
7. योजनान्तर्गत चयनोपरान्त यदि 03 वर्ष के पहले उद्यम बन्द किया जाता है तो कृषि विभाग द्वारा मुझे समस्त योजनाओं से प्रतिबन्धित (ब्लैकलिस्ट) कर दिया जाय एवं देय ब्याज अनुदान विभाग को वापस करने के लिए बाध्य हूँ।
8. योजनान्तर्गत एग्रीजंक्शन केन्द्र स्थापना उपरान्त 03 वर्ष तक लगातार उद्यम संचालन करते हुये शासन/विभाग द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करूँगा।

दिनॉक

शपथी

सत्यापन

मैं शपथी सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की धारा-1 से 06 तक मेरे निजी जानकारी में सत्य व सही हैं। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही गलत बयान किया गया है।

दिनॉक

शपथी

संलग्नक-8

Krishi Udyami

Course code NARO30021-AGRI: Session Plan

Day	Session	Subject
01	I	Registration & Inauguration, about the Institute, rules & regulations of training/institute
	II	Micro lab – Ice breaking exercise
	III	Achievement Motivation – Confidence building
	IV	Entrepreneurship Development – What, Why & How?– (Introduction)
02	I & II	Entrepreneurial competencies – importance, explanation with examples, case study for identification of different competencies
	III & IV	Risk Taking & Goal Setting – Ring Toss Exercise
03	I	Present Agricultural scenario in the country vis-à-vis Global scenario – New vistas in Agriculture and Allied Activities
	II	Monsoon pattern in India & its effect on Indian Agriculture, preparing for the season
	III & IV	Soil, formation, fertility and productivity/ Sampling analysis and soil test reports. Plant nutrients, major & minor elements, role and deficiency Symptoms – Balanced nutrients
04	I& II	High Yielding Farming techniques v/s organic farming techniques – A comparison. Use of fertilizers & organic manures, vermi composting
	III	Role of beneficial insects, microbes and other fauna, organisms – Balanced ecosystem
	IV	Tower building – eradicating dependency syndrome
05	I	Role of quality seeds in production, its importance & practices to be followed
	II	Major of the food crops region (3 to 4 crops) - package of practices
	III	Major commercial field crops of the region (3 to 4 crops) - package of practices
	IV	Dry land farming techniques – moisture conservation-practices
06.	I	Efficient irrigation systems - sprinkler irrigation & drip irrigation etc
	II	Integrated farming systems for small & marginal farmers
	III & IV	Common insects/pests & diseases of the major crops of the region & their control, integrated pest management
07	I & II	Major horticulture crops of the region (3 to 4 crops, fruits crop, plantation crops, vegetable crops) - package of practices
	III	Scope & cultivation of medicinal & Aromatic Plants
	IV	Problem solving–explanation through case studies and exercises, creativity – creative thinking
08	I	High-tech Agriculture, scope description, use of latest machineries & implements for

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		farming
	II	Pisciculture-description, scope, Inland fisheries – economics
	III & IV	Visit to progressive farm/research station, interaction with farmers/agri scientist
09	I	Dairy farming, breeds, selection of breeds, artificial insemination – managementaspects for clean milk production, milk products
	II	Nutrition & feeding of dairy animals, preparation of feeds & use of azola, fodder crops, calf management
	III	Dairy animals - important diseases & their control, vaccination, economics of a dairy unit
	IV	Time Management
10	I	Rearing of sheep, piggery, rabbit, and backyard poultry for supplementary income to small & marginal farmers.
	II &III	Plant propagation techniques - grafting, budding, layering, tissue culture
	IV	Commercial Nursery Management
11	I	Agro Processing – Fruit & vegetable preservation
	II	Agri business – a new avenue, description & scope
	III &IV	Marketing of Agricultural produces – e-business in agriculture
12	I & II	Banking–deposits & advances, lending schemes to agricultural sector, Government schemes
	III	Crop planning & preparation of farm models – farm budgeting
	III	Preparation of Project Reports of Agriculture Investments–projection of financial outlay
13	I	Insurance for Agriculture & Allied Activities – Crop Insurance and Livestock Insurance
	II	Supporting Institutions & development schemes
	III	Assessment and Evaluation
	IV	Feedback & Valedictory

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-4

[illegible] योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 की प्रगति प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप

माह –

प्रारूप–'अ'

क्रम	कार्यमद	भौतिक प्रगति (संख्या में)		वित्तीय प्रगति (हजार रू0 में)		अभ्युक्ति
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1.	[illegible] की स्थापना					
2.	एग्री जंक्शन [illegible] की स्थापना हेतु लाभार्थियों का चयन					
3.	32 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या					
4.	प्रशिक्षित लाभार्थियों को जारी निबन्धन प्रमाण पत्रों की संख्या (बीज/उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायन)					
5.	परिसर के किराये हेतु केन्द्रों की संख्या एवं अनुदान की धनराशि					
6.	ऋण हेतु बैंकों मे प्रेषित डी0पी0आर0 की संख्या					
	1. बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये डी0पी0 आर0 की संख्या					
	2. ऋण स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष बैंक खाते में स्थानान्तरित धनराशि (केन्द्रों की संख्या एवं अनुदान की धनराशि)					
	3. स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष लाभार्थियों के खाते मे बैंक द्वारा अवमुक्त धनराशि					
	4. व्यवसाय प्रारम्भ करने वाले लाभार्थियों की संख्या					
	(अ) बैंक द्वारा प्राप्त ऋण से					
	(ब) स्वयं के संसाधन से					
7.	अन्य व्यय					
	योग					
8.	मानक मदवार व्यय					
8(1)	मानक मद 27 सब्सिडी					
8(2)	मानक मद 42 अन्य व्यय					

प्रारूप–'ब'

क्रम	जनपद का नाम	आवेदक का नाम व पूरा पता	बैंक का नाम, खाता संख्या व आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित	प्रेषित डी.पी.आर. का दिनांक	स्वीकृत डी.पी. आर. की संख्या	बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते मे अवमुक्त डी.पी. आर. की संख्या	अवशेष डी.पी.आर की संख्या	अभ्युक्ति